विज्ञप्ति / सूचना

अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1553/68–5–2020 शिक्षा अनुभाग–5, लखनऊ दिनांक 11–12–2020 तथा शासनादेश पत्रांक संख्या के0जी0बी0वी0/7728/2023–24 दिनांक 20 सितम्बर, 2023 के क्रम में जनपद–झांसी में संचालित 09 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तगर्त बालिका छात्रावास बबीना एवं गुरसरायं में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर रिक्त पदो को भरे जाने हेतु दिनांक 20.07.2024 से 31.07.2024 की सायं 05:00 बजे तक इच्छुक अर्ह महिला अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन **कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी,शिक्षा भवन कैम्पस,कचहरी चौराहा झांसी** के पते पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट आवेदन पत्र द्वारा आंमत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि एवं समय उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उपरोक्त समस्त नवीन नियुक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–13553/22 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगी।

क्रम	पद	विषय	कुल पद	आरक्षण की श्रेणी				निर्धारित मानदेय	निर्धारित योग्यता
				अनारक्षित	अनु0जाति/जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पूर्णकालिक शिक्षिका	अंग्रेजी	2	2	0	0	0	24200	अंगेजी से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीइटी
		गणित	2	1	1	0	0	24200	गणित (पीसीएम) से प्रशिक्षण स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीइटी, प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड/ समकक्ष एलटी इत्यादि को सम्मिलित किया जायेगा।
		विज्ञान	1	0	1	0	0	24200	विज्ञान (जेडबीसी) से प्रशिक्षण स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीइटी, प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड/ समकक्ष एलटी इत्यादि को सम्मिलित किया जायेगा।
2	अंशकालिक शिक्षिका	शारीरिक शिक्षा	1	1	0	0	0	12181	स्काउड गाईड एवं शारीरिक शिक्षा बीपीएड, सीपीएड एवं डीपीएड आदि उपाधि
		कला, काफ्ट एवं संगीत	2	1	0	1	0	12181	स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी।
		कम्प्यूटर शिक्षा	2	1	0	1	0	12181	प्रशिक्षित स्नातक के साथ एनसीटीई से मान्यता बीएड/ समकक्ष एलटी प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य है इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षा हेतु पीजीडीसीए, बीसीए
3	चौकीदार		2	0	1	0	1	7142	कक्षा–8 उत्तीण तथा अम्यार्थी को शारिरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहियें।
4	सहायक रसोईया		1	0	0	0	1	6433	कक्षा–8 उत्तीण तथा अम्यार्थी को शारिरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहियें।
5	चपरासी		2	1	0	0	1	7142	कक्षा–8 उत्तीण तथा अम्यार्थी को शारिरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहियें।
योग			15	7	2	2	3		

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा सक्षम रूप से जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो विज्ञाप्ति जारी होने की तिथि से 06 माह से अधिक अवधि पूर्व का न हो। उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–6/2019/4/1/2002/ का–2/19 टीसी–1, दिनांक 23.10.2020 में

दिये गये निर्देशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए चिन्हांकिन पदों की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उक्त रिक्ति को अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

2. पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदो के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी एवं प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड/समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
3. समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जायेगा।
4. आवेदन के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय एवं आरक्षित वर्ग लिखना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी रिक्त पदों की संख्या घट एवं बढ़ सकती है। विषयवार एवं आरक्षणवार सीटों का अन्तिम निर्धारण जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
5. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के एंसी शिक्षिकायें, जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित रह गये थे, उन शिक्षकों को चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या–केजीबीवि/3–2/1916/2023–24 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। आवेदक को तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदन पत्र के साथ 25X10 सेमी के दो लिफाफे, जिनमें प्रत्येक पर निर्धारित पंजीकृत डाक टिकिट लगा हो एवं स्वयं का पता स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
7. पूर्णकालिक शिक्षिका/सहायक/रसोईया/चौकीदार को विद्यालय परिसर में ही स्वयं की व्यवस्थापर निवास करना अनिवार्य होगा। परिवार के किसी अन्य सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं होगी। विद्यालय में निवास न करने पर संविदा समाप्त कर दी जायेगी।
8. मुख्य रसोईया/सहायक रसोईया/चौकीदार/चपरासी हेतु शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग एवं गम्भीर बीमारी से युक्त अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होगे। जांचोपरांत मुख्य चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता/निवास/जाति प्रमाण पत्र/ आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
10. शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयनित अभ्यर्थी का संवा अनुबंध 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा। कार्य व व्यवहार अच्छा होने पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनपरांत अगले सत्र के लिए नवीनीकरण किया जायेगा।
11. सभी पदो हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। आयु की गणना 01 अप्रैल,2023 से की जायेगी।
12. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसी शिक्षिकायें, जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा, किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हिदया जायेगा।
13. अलग–अलग पद एवं विषय के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा। एक लिफाफे में एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।
14. पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर चयन मेरिट के आधार किया जाएगा, जिसमे अभ्यार्थियों के हाईस्कूल, इण्टरमीडियट, स्नातक एव बीएड के प्रतिशत को जोड़कर लब्धांक निकाला जायेगा। शेष पदों पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
15. टंतिम तिथि के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। अपूर्ण एवं अस्पष्ट रूप से भरे आवेदन,बिना फोटो एवं अपठनीय हस्ताक्षर होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
16. किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध व दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होगा।
17. उक्त विज्ञप्ति मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
18. आवेदन पत्र ए–4 साईज पेपर में होना चाहिए।
19. चयनोपरांत नियुक्ति किसी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में की जा सकती है।
20. पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षिका पद के अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा की तीनों वर्षो का अंकपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास रक्षित रहेगा, जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा। विज्ञप्ति लिपकीय त्रुटि के अधीन होगी।
22.

23.

आवेदन पत्र का प्रारुप

1– आवेदित पद का नाम ....
2– विषय (पूर्णकालिक / अंशकालिक शिक्षिकाओं हेतु) ....
3– अभ्यर्थिनी का नाम ....
4– पिता / पति का नाम ....
5– जन्मतिथि (शैक्षिक अभिलेखानुसार) तिथि .... माह .... वर्ष ....
6– 1 अप्रेल, 2024 को कक्षा–8 एवं हाईस्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर आयु
7– (अ) गृह जनपद का नाम व पता (थाना सहित) .... पिन कोड ....
(ब) पत्र व्यवहार का पता ....
8– मोबाईल नम्बर ....
9– जाति / वर्ग (सामान्य, अनु0जाति / जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) ....
10– अनुभव के0जी0बी0वी0 का यदि हो ....
11– शैक्षिक योग्यता का विवरण ....

परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	वर्ष	अनुक्रमांक	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
कक्षा–8							
हाईस्कूल							
इण्टरमीडिएट							
स्नातक							
प्रशिक्षित स्नातक							
उच्च प्राथमिक स्तर टीईटी							
अन्य							

12– संलग्नों का विवरण :– 1 .... 2 .... 3 .... 4 ....

–घोषणा–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूं कि उपरोक्त विवरण सत्य एवं सही है तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य, गलत पाये जाने पर सम्बंधित संस्थान / प्राधिकारी को मेरा सेवा अनुबन्ध समाप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने व भुगतानित मानदेय की वसूली करने का अधिकार होगा, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

दिनांक ....
स्थान ....

अभ्यर्थिनी के पठनीय हस्ताक्षर